

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक उसका संबंध चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता: वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी	08* (2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

	सकता है।				टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
--	----------	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अर्हताएं:</p> <p>(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाजशास्त्र में स्नातक डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री के साथ समाज कार्य में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; और</p> <p>(ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	<p>सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।</p>	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के प्रशासन कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य। 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए.11018/24/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd December, 2022

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Medical Social Worker, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Social Welfare Officer in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Social Welfare Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Social Welfare Officer.	08 (2022) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for the Government servant's upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>Essential qualification:</p> <p>(a) (i) Bachelor Degree in Social Work or Sociology from a recognised University or institute or Degree in any discipline with at least one year diploma in Social Work from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) Two years' experience in the field of Medical Social work in Government recognised hospital or institution, or</p> <p>(b) (i) Master's Degree in Social Work or Sociology from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) One year experience in the field of medical social work in Government recognised hospital or institution.</p> <p>Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of</p>

	candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department ;or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs 29200 -92300) or equivalent in the parent cadre or Department ;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman;</p> <p>(2) Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital , New Delhi -Member;</p> <p>(3) Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member;</p> <p>(4) Deputy Director, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A.11018/24/2019-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु, 22 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 200.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में मल्टी टास्किंग स्टाफ के समूह 'ग' पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

- लघु शीर्षक और आरंभ** - इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु अंतरिक्ष विभाग भर्ती नियम, 2022 कहा जाए।
ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति,
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है
अथवा,
ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:
बशर्ते, यदि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।
- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा ऐसा करना व्यावहारिक है, तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
मल्टी टास्किंग स्टाफ	कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित), गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रु.18000- 56900)	लागू नहीं